भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3914

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024

पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यान्वयन

3914. श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है साथ ही विशिष्ट रूप से तेलंगाना में लाभान्वित कारीगरों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का जिलावार और विशेष रूप से निजामाबाद के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण तेलंगाना में योजना के अंतर्गत कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा योजना 17.09.2023 को शुरू की गई थी, और यह तेलंगाना सहित, देश भर में शुरू की गई है। योजना की शुरुआत के बाद से, दिनांक 16.12.2024 तक, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर कुल 2.61 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिनांक 17.09.2023 को योजना के शुभारंभ के बाद से दिनांक 16.12.2024 तक तेलंगाना सहित, योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकरण, कौशल प्रशिक्षण पूरा होने और स्वीकृत ऋण का विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) : चूंकि पीएम विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राज्य-वार धन आवंटित नहीं किया जाता है। दिनांक 16.12.2024 तक, योजना के तहत स्वीकृत और खर्च की गई निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रु. में)	वहन किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
2023-24	746	746
2024-25(16.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	4,000	3,120

(ग) : पीएम विश्वकर्मा योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाती है। इस योजना का कौशल घटक, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को बढ़ाना है, को एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एमएसडीई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश भर के प्रशिक्षण केंद्रों को शामिल किया है। तेलंगाना में, वर्तमान में 96 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र हैं जो कारीगरों को आवश्यक कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर कारीगरों को 15,000 रुपये तक का वजीफा और टूलकिट प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

डीएफएस द्वारा लागू किया गया, क्रेडिट घटक, उद्यम विकास के लिए वहनीय ऋण उपलब्ध कराने पर अभिकेंद्रित है। योजना के तहत, लाभार्थियों को दो किश्तों में ऋण प्रदान किया जाता है:

किश्त 1: 18 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 1 लाख रुपये तक का ऋण।

किश्त 2: 30 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 2 लाख रुपये तक का ऋण।

लाभार्थियों के लिए प्रभारित ब्याज दर केवल 5% है जिसमें 8% तक का ब्याज सबवेंशन बैंकों को सरकार द्वारा अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है। पोर्टफोलियो के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत ऋण कवरेज सुरक्षित है। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण अवधि के दौरान, लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण सुविधाओं से परिचित कराने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वित्तीय सूझ-बूझ संबंधी अर्ध-दिवसीय सत्र प्रदान किए जाते हैं। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से व्यापक रूप से सुलभ है, जो तेलंगाना सहित देश भर में शहरी, ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3914, जिसका उत्तर दिनांक 19.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 17.09.2023 से दिनांक 16.12.2024 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुल पंजीकरण, पूर्ण किए गए कौशल प्रशिक्षण और स्वीकृत ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकरणों की सं.	पूर्ण किए गए कौशल प्रशिक्षण की संख्या	स्वीकृत ऋणों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,02,884	1,02,713	21,379
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,579	64	1
3.	असम	1,04,956	50,607	7,488
4.	बिहार	1,06,379	34,597	5,802
5.	छत्तीसगढ़	1,14,621	53,470	4,163
6.	गोवा	17,374	4,505	385
7.	गुजरात	2,04,482	1,45,227	30,756
8.	हरियाणा	33,519	13,787	2,883
9.	हिमाचल प्रदेश	18,843	6,572	707
10.	जम्मू और कश्मीर	1,50,535	1,08,704	10,741
11.	झारखंड	34,337	19,032	2,520
12.	कर्नाटक	5,31,858	3,30,111	63,652
13.	केरल	20,877	5,095	1,105
14.	मध्य प्रदेश	2,24,374	99,074	14,260
15.	महाराष्ट्र	2,30,746	1,11,105	21,997
16.	मणिपुर	11,226	2,530	388
17.	मेघालय	243	17	0
18.	मिजोरम	2,660	241	5
19.	नागालैंड	2,901	732	101
20.	ओडिशा	92,378	30,246	4,420
21.	पंजाब	9,870	2,962	432
22.	राजस्थान	2,16,768	1,29,402	26,948
23.	सिक्किम	1,937	291	7
24.	तमिलनाडु	1	0	0
25.	**तेलंगाना**	**69,229**	**44,247**	**13,544**
26.	त्रिपुरा	20,124	11,426	2,528
27.	उत्तर प्रदेश	1,52,623	52,693	3,698
28.	उत्तराखंड	18,885	6,542	383
29.	पश्चिम बंगाल	1	0	0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	714	327	0
31.	चंडीगढ़	241	62	11
32.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	705	132	2
33.	दिल्ली	727	13	1
34.	लद्दाख	3,543	1,597	253
35.	लक्षद्वीप	671	0	0
36.	पुडुचेरी	560	54	4
	कुल	**26,03,371**	**13,68,177**	**2,40,564**